# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 02/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन अधिकारी
बनाम
श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र श्री किशन चौधरी निवासी कडवा का बांस, मौखमपुरा, दूदू थाना दूदू जिला जयपुर मालिक बिना नंबर का ट्रेक्टर मोडल जोन डीयर 5042D PS, चैसिस नम्बर 1 PY 5042DLEA 006989, इंजन नम्बर PY3029D356675
4. निर्णय दिनांक : 06.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री चिमना राम पूनिया अप्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ग्रामीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पर्चा मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी रामगोपाल चौधरी की ट्रैक्टर ट्रोली को कोटपूतली थाना पुलिस द्वारा जांच करने पर अवैध डीजल मिला। कोटपूतली थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 29.04.2014 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 4797.750 लीटर डीजल मय बिना नंबर का ट्रैक्टर जॉन डीयर 5042D PS, **चैसिस नम्बर 1** PY 5042DLEA 006989, **इंजन नम्बर** PY3029D356675 तथा इससे जुडी टैंकर लौरी को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त डीजल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 24.09.2014 को अधिवक्ता श्री चिमना राम पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.04.2014 को अप्रार्थी रामगोपाल चौधरी की ट्रैक्टर ट्रोली को कोटपूतली थाना पुलिस द्वारा जांच करने पर



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अवैध डीजल मिला। कोटपूतली थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 29.04.2014 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 4797.750 लीटर डीजल मय बिना नंबर का ट्रैक्टर जॉन डीयर 5042D PS, **चैसिस नम्बर 1** PY 5042DLEA 006989, **इंजन नम्बर** PY3029D356675 तथा इससे जुडी टैंकर लौरी को जब्त किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल अवैध था और उनके संधारण एवं परिवहन बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। किसी अन्य ने भी जब्तशुदा सामग्री के लिये क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 4797.750 लीटर डीजल मय बिना नंबर का ट्रैक्टर जॉन डीयर 5042D PS, **चैसिस नम्बर 1** PY 5042DLEA 006989, **इंजन नम्बर** PY3029D356675 तथा इससे जुडी टैंकर लौरी शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर

Court of the ... District Magistrate ... JAIPUR